समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री नीरज कुमार, पिता-श्री महानन्द यादव, सा0-गंगापुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को एन0 पी0 बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या 01/2004 (मुरलीगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-ए0बी0-04-2660 (.315) आई0ओ0एफ0 धारित है। इनकी पत्नी रंजना राय, पति-स्व0 नीरज कुमार, सा0-गंगापुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पति-नीरज कुमार की मृत्यु दिनांक 08-10-2014 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः रंजना राय द्वारा समर्पित मृत्यु संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र के आलोक में उनके पति स्व0 नीरज कुमार को प्राप्त एन0 पी0 बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या 01/2004 (मुरलीगंज थाना) को रद्द करते हुए उस पर धारित शस्त्र संख्या--ए0बी0-04-2660 (.315) आई0 ओ0 एफ0 को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदिका को मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित एन0 पी0 बोर0 रायफल संख्या-ए0बी0-04-2660 (.315) आई0ओ0एफ0को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

Sd/-

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......68......../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक...14-03-2015...

प्रतिलिपि : मसो0 रंजना राय, पति-स्व0 नीरज कुमार, सा0-गंगापुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित एन0 पी0 बोर0 रायफल संख्या-ए0बी0-04-2660(.315) आई0ओ0एफ0को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करते हुए जमा प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/03/15

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा